



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), 1 करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002  
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)  
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt – 226002

सं.: सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2018-19

दिनांक: 22.11.2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

- |  |   |
|--|---|
| (1) वे.ले.का. (अ. श्रे.) 39 जी टी सी वाराणसी | (5) वेतन I अनुभाग (मुख्य कार्यालय)      |
| (2) स्था. ले. अ. (भवन भंडार) लखनऊ            | (6) वे.ले.का. (अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ |
| (3) र. ले. प्र. नि. (म.क.) लखनऊ              | (7) सहा. लेखाधिकारी (भवन भंडार) बबीना   |
| (4) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.) कानपुर    | (8) स्था. लेखाधिकारी (अ) झाँसी          |

**विषय: क्षे. प्र. के. लखनऊ प्रशिक्षण: 'सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों' पर पाठ्यक्रम।**

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 29.11.2018 एवं 30.11.2018 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं	नाम (श्री)	लेखा सं.	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	कार्यालय/अनुभाग
1	उमा शंकर	8305270	व. ले. प.	31.01.2019	वे.ले.का. (अ.श्रे.) 39 जी टी सी वाराणसी
2	एस. पी. मिश्रा	8331371	व. ले. प.	28.02.2019	स्था. ले. अ. (भवन भंडार) लखनऊ
3	अमर सिंह	8331362	ले. प.	31.05.2019	र. ले. प्र. नि. (म.क.) लखनऊ
4	वी. के. मिश्रा	8327490	व. ले. प.	31.05.2019	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर
5	मेहराज अहमद	8321994	व. ले. प.	31.05.2019	वेतन I अनुभाग (मुख्य कार्यालय)
6	एन. के. तिवारी	8321997	व. ले. प.	30.06.2019	वे.ले.का. (अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
7	बालक दास	8324570	व. ले. प.	30.06.2019	सहा. लेखाधिकारी (भवन भंडार) बबीना
8	महन्त राम	8328406	DEO-C	30.06.2019	वे.ले.का. (अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
9	बी. आर. रॉयचौधरी	8328829	SPS	31.08.2019	र. ले. प्र. नि. (म.क.) लखनऊ
10	हरि सिंह सिकरवार	8326390	व. ले. प.	31.08.2019	स्था. लेखाधिकारी (अ) झाँसी

2. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
3. कृपया अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके निर्धारित तिथियों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित करें।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

६ - ४ -  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (सं. एवं. प.)

प्रतिलिपि:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| (1) प्रशासन I अनुभाग  | : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।     |
| (2) प्रशासन V अनुभाग  | : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।     |
| (3) क्षे.प्र.के. लखनऊ | : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।     |
| (4) स्वचलन कक्ष       | : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |

वरिष्ठ लेखाधिकारी (सं. एवं. प.)